



केन्द्रीय भण्डारण निगम
(भारत सरकार का उपक्रम)
Central Warehousing Corporation
(A Government of India Undertaking)



CWC/INSP/INSP PROCEDURE/16-17/ 632 B

DATE: 29.06.2016

CIRCULAR


Inspection of Central Warehouses – guidelines for inspection.

As per the circular no. CWC/INSP/INSP PROCEDURE/2016-17/404-E dated 9.5.2016 instructions were issued to all the RMs to instruct all the Inspecting Officers under their jurisdiction to prepare weight check memo as per document no. F/CD/o4 and enclose it along with the Inspection Report. Further as per ISO document no. P/INSP/01, 5% of the total number of stacks at random are required to be selected for test weightment by the Inspecting Officer.

It has been seen from the Inspection Reports that Inspecting Officers are not conducting test weightment of 5% of the total stacks. Further, they are not weighing equal number of the bags from the stacks. To streamline the same it has been decided that:-


1. Inspecting Officers will test weight bags from two stacks where the capacity of the warehouses being inspected is upto 10000 MT and from 4 stacks where the capacity of the warehouse is more than 10000 MT.
2. Inspecting Officers will test weight 20 bags per stack for test check weightment.
3. These instructions are applicable in case of standardised bags only. Rest of the instructions contained at point no. 7.2 in Doc No. P/INSP/01 will remain unchanged.

All the Regional Managers are therefore advised to bring the above instructions to the notice of Inspecting Officers under their jurisdiction for strict compliance.


(M.K. VERMA)
GM (INSP)

Distribution:

1. PPS to MD/SPA to Dir. (Fin)/ SPA to D (P)/ PPS to Dir. (MCP)/PS to CVO, CWC, CO, New Delhi.
2. All Divisional Heads, CWC, CO, New Delhi.
3. All Regional Managers, CWC, RO _____ (two copies each).
- ✓ 4. GM(System) for uploading on website.
5. Guard file.


29/6/16



केन्द्रीय भण्डारण निगम

(भारत सरकार का उपक्रम)

Central Warehousing Corporation

(A Government of India Undertaking)

सं० सी० डब्ल्यू० सी०/निरी० प्रक्रिया/2016-17 1632-B
परिपत्र

दिनांक : 29/06/2016



विषय :- सेन्ट्रल वेयरहाउसों का निरीक्षण-निरीक्षण के लिए दिशा-निर्देश ।

सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को दिनांक 9/5/2016 के परिपत्र सं० सी० डब्ल्यू० सी०/निरी०/निरी० प्रक्रिया/2016-17/404 ई० के अनुसार अनुदेश जारी किये गये थे कि वे अपने नियंत्रणाधीन सभी निरीक्षण अधिकारियों को निर्देश दें कि वे दस्तावेज सं० एफ० सी० डी०/04 के अनुसार वेट चैक मेमों तैयार करें और निरीक्षण रिपोर्ट के साथ संलग्न करें। इसके अतिरिक्त निरीक्षण अधिकारी द्वारा आई०एस० ओ० दस्तावेज सं० पी०/इन्स्प/01 के अनुसार कुल स्टैक का 5 प्रतिशत को टेस्ट चैक किया जाना आवश्यक है।

निरीक्षण रिपोर्ट में देखा गया है कि निरीक्षण अधिकारी कुल स्टैक का 5 प्रतिशत टेस्ट चैक नहीं करते साथ ही वह स्टैक में से एक बराबर बोरियों का वजन भी नहीं करते। इसको व्यवस्थित करने के लिये यह निर्णय लिया गया है कि:-

- 1 निरीक्षण किये जा रहे जिन वेयरहाउसों की क्षमता 10,000 मी० टन० तक है वहाँ निरीक्षण अधिकारी दो स्टैकों में से बोरियों की जाँच करेंगे और जहाँ वेयरहाउसों की क्षमता 10,000 मी० टन से अधिक है, वहाँ 4 स्टैकों में से बोरियों की जाँच करेंगे।
- 2 निरीक्षण अधिकारी टेस्ट चैक वजन के लिये प्रत्येक स्टैक में से 20 बोरियों की जाँच करेंगे।
- 3 यह आदेश केवल मानकीकृत बोरियों के मामले में ही लागू है। दस्तावेज सं० पी०/इन्स्प०/01 के बिन्दु सं० 7.2 में दिये गये शेष निर्देश यथावत रहेंगे।

अतः सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों को सलाह दी जाती है कि वह उपरोलिखित निर्देशों को इसके सख्त अनुपालन के लिये अपने अधीन सभी निरीक्षण अधिकारियों के संज्ञान में लायें।

महामुखायक
(एम० के० वर्मा)

महाप्रबंधक (निरी०)

प्रतिलिपि :-

- 1 प्रबंध निदेशक के प्रधान निजी सचिव/ निदेशक (वित्त), के वरिष्ठ निजी सहायक/निदेशक (एम० सी० पी०) के प्रधान निजी सचिव/निदेशक (कार्मिक) के वरिष्ठ निजी सहायक, के० भ० नि० निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
- 2 मुख्य सतर्कता अधिकारी के निजी सचिव, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
- 3 सभी विभागाध्यक्ष, के० भ० नि०, निगमित कार्यालय, नई दिल्ली।
- 4 महाप्रबंधक सिस्टम वैब साइट पर अपलोड करने हेतु
- 5 सभी क्षेत्रीय प्रबंधक, के० भ० नि० क्षेत्रीय कार्यालय(प्रत्येक को दो प्रति)
- 6 गार्ड फाइल